नगर निगम भिलाई में संपत्तिकर एक साथ जमा करने पर 2 प्रतिशत का छूट का लाभ मिल रहा है।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्थित भवन/भूमि स्वामियों को उनके स्वामित्व के भवन/भूमियों पर चालू वित्तीय वर्ष 2024.25 हेतु देय संपत्तिकर पर 30 नवम्बर 2024 तक एक मुश्त भुगतान करने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। नगर निगम भिलाई के 5 जोन में एवं मुख्य कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में करदाता संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। यह सुविधा सभी प्रकार के संपत्ति कर करदाताओं के लिए है। जिसका भवन/भूमि स्वामी लाभ उठा सकते है। गौरतलब है कि बहुत से संपत्ति करदाता जानकारी के अभाव में मार्च महीने में संपत्ति कर जमा करने आते हैं समय उनके संपत्ति जमा करने वाली राशि पर ब्याज लिया जाता है। उससे अच्छा है समय से संपत्ति कर जमा करके दो प्रतिशत का लाभ उठाएं, एक आदर्श नागरिक बने। भवन मालिक अपने भवन का संपत्तिकर की स्थिति जानने के लिए हेल्पलाईन व व्हाट्सअप नम्बर 9153986401 पर जानकारी प्राप्त कर सकते है एवं मांग अनुसार 2 प्रतिशत की छूट के साथ आंनलाईन वेबसाईट https:/chhattishgarhmunicipal.com में अपने देय करो का भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते है।